

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2995]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 21, 2016/अग्रहायण 30, 1938

No. 2995]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 21, 2016/AGRAHAYANA 30, 1938

इस्पात मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 दिसम्बर, 2016

का.आ. 4101(अ).—केन्द्रीय सरकार, कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63) की धारा 2 के खंड (ढ) के पहले परंतुक के खंड (iii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 584(अ) तारीख 25 फरवरी, 2016 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना की सारणी में, स्तंभ (1) की पंक्ति 5 में, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :-

“श्री ए.के. मंडल,
सहायक महाप्रबंधक,
फैरो स्क्रैप निगम लिमिटेड,
इन्साइड राउरकेला स्टील प्लांट,
पोस्ट बाक्स न- 19, राउरकेला – 769 001
जिला-सुंदरगढ़
ओडिशा।”

[फा. सं. 4(3)/2015-एमएफएच]

सुनील बर्थवाल, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना सं. का.आ. 584(अ) द्वारा तारीख 25 फरवरी, 2016 को प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF STEEL**NOTIFICATION**

New Delhi, the 21st December, 2016

S.O. 4101(E).—In exercise of the powers conferred by clause (iii) of the first proviso to clause (n) of section 2 of the Factories Act, 1948 (63 of 1948), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Steel, number S.O.584(E), dated the 25th February, 2016, namely:-

In the said notification, in the Table in column (1), in row 5, for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely:-

“Shri A.K. Mondal,
Assistant General Manager,
Ferro Scrap Nigam Limited,
Inside Rourkela Steel Plant,
Post Box No.-19, Rourkela-769 001
District – Sundargarh
Odisha.”

[F. No. 4(3)/2015-MFH]

SUNIL BARTHWAL, Jt. Secy.

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 584(E), dated 25th February, 2016.

Nishok
Kumar Paria

Digitally signed by
Nishok Kumar Paria
Date: 2016.12.22 19:53:00
+05'30'